मल्हारगंज पुलिस के हत्थे चढ़े फरार बदमाश

50 पैसे का इनामी बदमाश धराया मारपीट के मामले में थी तलाश

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

मारपीट के मामले में फरार चल रहे बदमाश को मल्हारगंज पुलिस ने दबोच लिया है। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त ने 50 पैसे का इनाम घोषित किया था। पकड़ाने के दौरान पुलिस से बचने वह घर की बालकनी से कूद गया, जिससे उसके पैर में चोट आई है।

जोन-1 के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक शर्मा ने बताया कि हीरानगर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित अनिल दीक्षित हत्याकांड के गवाह को बदमाश ने धमकाकर मारपीट की थी। दरअसल, पिछले महीने कंडिलपुरा निवासी ममता यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जुलाई-2022 में अनिल दीक्षित हत्याकांड के गवाह उनके बेटे विक्की उर्फ विक्रांत को बदमाश बिट्टू गौड़ ने धमकी दी थी। इस मामले में आरोपियों ने विक्की को गवाही न देने के लिए डराने का प्रयास किया।

शिकायत के मुताबिक... शानू सागर और दुर्लभ कश्यप गैंग के अन्य आरोपी जेल में बंद हैं, जबकि शानू सागर के छोटे भाई रोहन सागर और बिट्टू गौड़ ने विक्की के घर जाकर उसे धमकाया था।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर रोहन सागर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, वहीं मंगलवार को गांधीनगर थाना क्षेत्र में छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने उसे इलाज के लिए एमवाय में भर्ती कराया है।

रिक्शा में बैठी महिला की चेन-अंगूठी गायब

इंदौर। रिक्शा में बैठी बुजुर्ग महिला के पर्स से चेन, अंगूठी गायब हो गई। जिस आरोपी महिला ने यह वारदात की, वह पहले से रिक्शा में बैठी थी। वारदात करते ही वह उतर गई। मामला एमआईजी थाना क्षेत्र का है। फरियादी रतन पति सत्यनारायण वर्मा निवासी स्कीम नंबर-74 ने बताया कि वह ई-रिक्शा में बैठकर परदेशीपुरा जा रही थी। इसमें पहले से कुछ महिलाएं बैठी थीं। रिक्शा से उतरने के बाद जब किराया देने के लिए झोले में रखा पर्स निकाला तो वह गायब था। पर्स में सोने की चेन, सोने की अंगूठी, सोने के टॉप्स, 2 हजार रुपए, आधार कार्ड और पैन कार्ड रखे थे।

चोरों से साढ़े तीन लाख की बैटरी बरामद, दो गिरफ्तार

खड़े ट्रक-डंपरों से चुराकर सस्ते दामों में बेच देते थे आरोपी

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

तेजाजी नगर पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर उनसे साढ़े तीन लाख रुपए की 30 बैटरियां जब्त की हैं। हाईवे और कॉलोनियों में खड़े ट्रक-डंपरों से बैटरियां चुराकर उसे सस्ते दाम में बेच देते थे।

तेजाजीनगर टीआई देवेंद्र मरकाम ने बताया कि क्षेत्र में वाहनों से बैटरियां चोरी होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी जांच और पूछताछ शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि गोविंदा बैरागी, जो कस्तूरबाग्राम का रहने वाला है, वह इस तरह की कई वारदातें कर चुका है। जानकारी पुख्ता होने पर गोविंदा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने कबूला कि वह रेती मंडी में रहने वाले साथी राहुल गवई को बैटरियां बेच देता था। राहुल चोरी की यह बैटरियां अन्य वाहन चालकों व दुकानदारों को महंगी कीमत में बेच देता था।

ट्रक-डंपरों को बनाते थे निशाना

क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपियों ने खुलासा किया कि वे मुख्यतः हाईवे पर खड़े ट्रक-डंपरों और कॉलोनियों में खड़े वाहनों को निशाना बनाते थे। गोविंदा पहले भी ऐसे मामलों में संलिप्त रहा है। आरोपी से अन्य वारदात को लेकर पूछताछ की जा रही है।

पत्नी ने घर आने से किया इनकार गुस्से में पति ने खाया जहर, मौत

कुछ दिनों से दोनों के बीच चल रहा था पारिवारिक विवाद

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

पति-पत्नी का कुछ दिनों से पारिवारिक विवाद चल रहा था।

विवाद के चलते पत्नी मायके चली गई थी। जब पति ने फोन लगाकर लेने आने की बात कही तो पत्नी ने इनकार कर दिया। इससे आवेश में आकर युवक ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां नरेंद्र खंडेलवाल नामक युवक ने पत्नी से फोन पर हुई नोंकझोंक की वजह से खुदकुशी कर ली। नरेंद्र की पत्नी पारिवारिक विवाद के चलते मायके चली गई थी। कुछ दिन बाद ही जब मामला शांत हुआ तो उसने पत्नी को वापस लाने का इरादा किया। वह ससुराल जाकर पत्नी को लाने से पहले दोस्त के साथ वक्त बिता रहा था।

दोस्तों के साथ था- तभी उसकी पत्नी फोन पर नरेंद्र से बार-बार उसके ससुराल पहुंचने के बारे में पूछने लगी। इस पर पति ने बताया कि वह दोस्तों के साथ है और थोड़ी देर में ससुराल पहुंच जाएगा। यह बात पत्नी को नागवार गुजरी। उसने कहा- तुम दोस्तों के साथ रह लो या मेरे साथ... फोन पर यह नोंकझोंक यहीं नहीं थमी। नरेंद्र से उसने सैकड़ों बार पूछा कि कब तक आओगे और नरेंद्र ने फोन पर हमेशा यही जवाब दिया कि बस थोड़ी देर में आ रहा हूं।

तुम चाहती क्या हो- पत्नी के सवालों से परेशान नरेंद्र आखिरी में कहता है कि तुम फाइनली बता दो कि तुम चाहती क्या हो? मैं आऊं या न आऊं... यही नरेंद्र की आखिरी बात थी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि मत आना। पत्नी की यह बात सुनकर वह नाराज हो गया था और ससुराल पहुंचने से पहले जहर खा लिया। दोस्त को फोन पर जहर खाने की जानकारी दी। दोस्त अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसने दम तोड़ दिया।

दोनों में अक्सर होती रहती थी बहसबाजी

मामले में नरेंद्र के भाई सूरज ने बताया कि उसकी शादी छह महीने पहले हुई थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन उसके बाद युवती घर से अलग होने की बात करने लगी। इसे लेकर विवाद भी होने लगे... फिर दोनों परिवार से अलग हो गए। इसके बावजूद दोनों आपस में झगड़ा करते थे। कुछ दिन पहले ही नरेंद्र की पत्नी मायके चली गई थी, जिसे वह लेने जा रहा था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

सगाई में रुपए मांगने वाले मां-बेटे पर केस

लोभी: पूर्व में भी कई लोगों से ऐंठ चुके हैं पैसे

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

शादी के बाद दहेज के नाम पर पैसे मांगने के मामले आते हैं, लेकिन एरोड्रम थाना क्षेत्र में तो सगाई में ही तीन लाख रुपए की मांग मां और बेटा कर चुके हैं। जब लड़की के परिजन ने पैसे देने से इनकार किया तो सगाई नहीं करने की धमकी दी। दोनों पूर्व में भी कई लोगों से पैसे ऐंठ चुके हैं। पैसे लेने के बाद बहाना बनाकर शादी करने से इनकार कर देते हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।फरियादी सुनील पिता दिवाकर नाथ निवासी कालानी नगर ने बताया कि उनकी बेटी की सगाई उन्होंने नरीमन सिटी छोटा बांगड़दा में रहने वाले सक्षम त्रिपाठी

से की थी। सक्षम और उसके परिवार वालों ने सगाई के पहले बताया था कि उनका खुद का मकान है। उसकी अच्छी खासी नौकरी है। सगाई के बाद से ही आरोपी पक्ष 3 लाख रुपए की मांग करने लगे। पैसा नहीं दिया तो विवाद किया।

झूठी जानकारी देते हैं आरोपी: फरियादी को सक्षम के परिवार पर शक हुआ तो उन्होंने अपने स्तर पर जानकारी जुटाई। इसमें पता चला कि वह झूठ बोलकर रिश्ता जोड़ते हैं और फिर पैसा हड़पते हैं। पहले भी उन्होंने इसी तरह से एक-दो परिवारों के साथ धोखाधड़ी की है। इसके बाद फरियादी ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। फरियादी का कहना है कि उससे नकदी 30 हजार रुपए सगाई के समय और शादी के नाम पर डेढ़ लाख रुपया ले लिए हैं और लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।

रंजिश में बस वाले भिड़े

इंदौर। रंजिश के चलते खजराना में बस वालों का झगड़ा हो गया। फरियादी शादाब अली निवासी खजराना के साथ आरोपी टाकी, गब्बर और उसके साथियों ने मारपीट की। शादाब ने बताया कि वह सादगी कंपनी की बसों की देखरेख तथा रेडिसन चौराहे पर सवारियां भी बैठाने का काम करता है। विवाद के चलते आरोपियों ने उस पर हमला किया। आरोपी मार्बल बस कंपनी से जुड़े हुए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण नियंत्रण सप्ताह मनाया

इंदौर। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण नियंत्रण सप्ताह मनाया गया। इसमें वायु प्रदूषण कारकों, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों, पौधारोपण और उनका प्रदूषण नियंत्रण में महत्व पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में पर्यावरणविद् ओपी जोशी, जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी डॉ. अंशुल मिश्रा, डॉ. दिलीप वाघेला, मेघा नामदेव उपस्थित थे।

पूर्व किराएदार ने ठगे सवा 12 लाख रुपए

शेयर मार्केट में प्रॉफिट का दिया था झांसा

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

शेयर मार्केट में निवेश कर प्रॉफिट कमाने का झांसा देकर पूर्व किराएदार ने सवा 12 लाख से अधिक रुपए ऐंठ लिए। राऊ पुलिस को फरियादी सतीश पिता रामप्रकाश धाकड़ निवासी श्री कृष्णा पैराडाइज ने बताया कि वह निजी कंपनी में काम करता है। दो साल पहले आरोपी राहुल पिता गोविंद योगी निवासी खरगोन परिवार सहित किराए से रहने आया था। राहुल ने शेयर मार्केट में काम करने की जानकारी दी थी। उसने कहा था कि अगर वह उसके बताए अनुसार शेयर में इन्वेस्ट करता है तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। आरोपी राहुल ने 6 मार्च, 2023 से सतीश से रुपए लेना शुरू किए। आखिरी बार 30 जनवरी, 2024 को रुपए लिए। राहुल ने यह पैसा कई कंपनियों के शेयर में लगाया। इसमें 4 लाख 51 हजार का फायदा भी हुआ, लेकिन इसके बाद राहुल ने रुपए देना बंद कर दिए।

कई बार मांगने के बाद भी उसने रुपए नहीं दिए। फरियादी के अनुसार... उसने राहुल को करीब 14 लाख 23 हजार रुपए दिए, जिसमें से सिर्फ 1 लाख 88 हजार रुपए ही वापस आए। राहुल ने बाद में सतीश के यहां से घर भी खाली कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

तीन साल बाद पकड़ाई अधिकारी की पत्नी, साला भी गिरफ्तार

कार्रवाई : योग टीचर बनकर काट रही थी फरारी

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

आबकारी अधिकारी की पत्नी धोखाधड़ी के मामले में तीन साल से फरार चल रही थी। रायपुर में वह योग टीचर बनकर रह रही थी। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। भंवरकुआ पुलिस ने मशक्कत के बाद उसे रायपुर से गिरफ्तार किया है।

आबकारी अफसर से उसने फर्जी दस्तावेज दिखाकर शादी की थी। शादी के बाद से ही दोनों में विवाद चल रहा था। आबकारी अफसर विनय रंगशाही ने पत्नी फरहत नाजनीन, साले इमरान के खिलाफ भंवरकुआ थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने बताया कि फरहत और विनय सहपाठी थे। पढ़ाई के दौरान दोनों ने लव मैरिज कर लिया था। 3 साल पहले आरोपी महिला ने पति विनय, ससुर अशोक (सेवानिवृत्त डीएसपी) के खिलाफ दहेज यातना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में विनय, अशोक कोर्ट से जमानत पर हैं। इसके उलट विनय ने पत्नी की शिकायत की थी। शिकायत के बाद से वह फरार चल रही थी। मामले में पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर लिया था।

340 दिन में सवा 12 करोड़ रुपए कराए रिफंड

इंदौर। ऑनलाइन ठगी के शिकार लोगों की शिकायतों का क्राइम ब्रांच लगातार निराकरण कर रही है। पुलिस ने जनवरी से अब तक करीब 340 दिन में पीड़ितों को 12 करोड़ 27 लाख रुपए रिफंड कराए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।

पुलिस के अनुसार... साइबर हेल्प डेस्क, एनसीआरपी और सिटीजन कॉप के माध्यम से पीड़ितों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थीं। पुलिस के मुताबिक शिकायतों में वर्ष-2021 में 1 करोड़ 37 लाख, वर्ष-2022 में 3 करोड़ 92 लाख रुपए, वर्ष-2023 में 4 करोड़ 32 लाख रुपए आवेदकों के खाते में सकुशल वापस कराए थे।

जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों को लेकर पुलिस आयुक्त गंभीर

काउंसलिंग से दोनों पक्षों को बैठाकर निबटाएंगे पारिवारिक मामले

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

जनसुनवाई में पारिवारिक और रिश्तेदारों से जुड़े मामलों को निबटाने नई योजना पर पुलिस ने काम करना शुरू कर दिया है। जल्द ही काउंसलिंग के माध्यम से दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर उनका मौका पर निराकरण किया जाएगा। पुलिस के इस प्रयास से जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों में से 20 से 25 फीसदी का त्वरित निराकरण हो सकेगा। इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम में अलग से डेस्क स्थापित की जाएगी। आमतौर पर पारिवारिक शिकायतें थाने और कोर्ट तक नहीं पहुंच सकें, इसलिए थानों में ही काउंसलिंग कर दी जाती है। कुछ थानों में बाकायदा इसके लिए डेस्क बनी हुई है। प्रत्येक मंगलवार पुलिस की जनसुनवाई में शिकायतें आती हैं कि बेटे ने सम्पत्ति हड़प ली, बहू खाना नहीं देती है, रिश्तेदार परेशान करते हैं, बुजुर्गों को घर से बेदखल कर दिया है, पैतृक संपत्ति को लेकर घर में झगड़े होते हैं... ऐसे मामले सामने आने के बाद उनका निबटारा करने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्षणिक आवेश में परिजन पुलिस को शिकायत कर देते हैं, बाद में गलती का एहसास होने पर शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने की बात करते हैं। जिन शिकायतों का निराकरण परिजन नहीं कर पाते, उनके लिए काउंसलिंग मददगार साबित होगी।

कलियुगी बेटे ने पिता को पीटा

इंदौर। कलियुगी बेटे ने बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट की। कनाड़िया पुलिस ने फरियादी विक्रमसिंह सोलंकी निवासी कावेरी परिसर के पीछे की शिकायत पर उसके बेटे सतीश और बहू ममता पर केस दर्ज किया है। पिता का कहना है कि वह किसी से फोन पर बात कर रहा था, तभी बेटा-बहू ममता गालियां देने लगे। उसने विरोध किया तो मारपीट की।

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

Chola Enter a better life

कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रीयल एस्टेट गुइंडी, चेन्नई-600 032
शाखा कार्यालय :- शॉप नं. 603 से 615, छठी मंजिल, बीजोन बिजनेस स्पेस, निपानिया मेन रोड, देवास नाका, इंदौर (मप्र)-452001

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13[2] के अंतर्गत मांग नोटिस

आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता / बंधककर्ता को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने आपके खिलाफ प्रतिभूतिकरण और वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत कार्यवाही शुरू की है और आपको पंजीकृत डाक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस भेजा गया था। उधारकर्ता / उधारकर्ताओ के लिए देय राशि बिना वितरित किए वापस आ गई है। इसलिए, आपको इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस लेने और उक्त खाते के खिलाफ उल्लिखित बकाया ऋण राशि का भुगतान ब्याज के साथ करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल होने पर कंपनी ब्याज और लागतों के साथ अपने बकाए को वसूलने के लिए नीचे उल्लिखित सुरक्षा को लागू करके अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करके आपके खिलाफ आगे बढ़ेगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

स. क्र.	ऋण खाता संख्या एवं उधारकर्ता का नाम और पता	ऋण राशि (यों)	मांग नोटिस की तिथि और बकाया राशि
1.	ऋण खाता संख्या: HE01INO00000023084: 1) राजेश अग्रवाल (आवेदक), 303, ब्लॉक-सी, बालाजी रेसीडेंसी, द्रविड़ नगर, द्रविड़ नगर पी.ओ., इंदौर-452001, 2) अनामिका अग्रवाल (सह-आवेदक), 303, बी ब्लॉक/सी, बालाजी रेसीडेंसी, द्रविड़ नगर, सुदामा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश 452009. 3) जे.के. ट्रेडिंग कंपनी (सह-आवेदक), 41 बी, उद्योग नगर, छावनी, अनाज मंडी, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001।	रु.1,00,00,000/-	15/11/2024 और रु.1,00,86,073/- को 15-11-2024 तथा उस पर संविदात्मक ब्याज दर पर अतिरिक्त ब्याज।
	अनुसूची 'बी' (संपत्ति की अनुसूची): मद सं.01. यूनिट/भाग सं. 105, मोदी टॉवर की पहली मंजिल, प्लॉट सं. 24/2 का दक्षिणी भाग, एम जी रोड, एमटीएच कंपाउंड साइड, इंदौर सुपर बिल्ट अप एरिया 257 वर्ग फीट, इस प्रकार घिरा हुआ: पूर्वः यूनिट सं.106, पश्चिमः यूनिट सं.104, उत्तरः कॉरिडोर; दक्षिणः सड़क मद सं.02. यूनिट/भाग सं.106, मोदी टॉवर की पहली मंजिल, प्लॉट सं. 24/2 का दक्षिणी भाग, एमजी रोड, एमटीएच कंपाउंड साइड, इंदौर सुपर बिल्ट अप एरिया 270 वर्ग फीट, इस प्रकार घिरा हुआ: पूर्वः यूनिट सं.107, पश्चिमः यूनिट सं.105; उत्तरः कॉरिडोर, दक्षिणः सड़क मद सं.03. यूनिट/भाग क्रमांक 107, मोदी टॉवर की पहली मंजिल, प्लॉट क्रमांक 24/2 का दक्षिणी भाग, एमजी रोड, एमटीएच कंपाउंड साइड, इंदौर सुपर बिल्ट अप एरिया 252 वर्ग फीट, सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः यूनिट क्रमांक 108, पश्चिमः यूनिट क्रमांक 106, उत्तरः कॉरिडोर, दक्षिणः सड़क आइटम क्रमांक 04. यूनिट/भाग क्रमांक 108, मोदी टॉवर की पहली मंजिल, प्लॉट क्रमांक 24/2 का दक्षिणी भाग, एमजी रोड, एमटीएच कंपाउंड साइड, इंदौर सुपर बिल्ट अप एरिया 517 वर्ग फीट, सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः अन्य बिल्डिंग, पश्चिमः यूनिट क्रमांक 107, उत्तरः कॉरिडोर, दक्षिणः सड़क।		

दिनांक : 05.12.2024, स्थान : इन्दौर हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी), चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

कोटक महिन्द्रा बैंक लि.

kotak

कार्पोरेट पहचान नं. एल65110एमएच1985पीएलसी038137).
पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी27, जी ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा(ई), मुम्बई-400 051
कार्पोरेट कार्यालय : कोटक इनफिनिटी, जोन-II. चौथी मंजिल, बिल्डिंग नं. 21, इनफिनिटी पार्क, ऑफ.डब्ल्यू.ई. हाइवे, गोरेगांव, मुम्बई-400 097
शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय : कोटर महिन्द्रा बैंक लि., पांचवी मंजिल, मेट्रो टॉवर विजय नगर, इंदौर (म.प्र.) 452001

ई- नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को गिरवी रखी गई है, जिसका भौतिक कब्जा **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी** द्वारा लिया गया है। जिसे **''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है''** और **''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जाएगा, अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार, मे. सी1 इंडिया प्रायवेट लिमिटेड यानि www.c1india.com के वेब पोर्टल के माध्यम से आनलाईन जमा करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

ऋणकर्ता(ओं) का नाम/जमानतदार(रों) का नाम/बंधककर्ता(ओं)	मांग पत्र दिनांक एवं राशि	सुरक्षित बंधक का विवरण (अचल संपत्ति)
ऋण खाता क्रमांक 556044014980 (सीआरएन क्रमांक 36997030) M/S दिव्यानी इंटरप्राइजेज अपने मालिक श्री निरंजन प्रजापत पुत्र श्री बीएल प्रजापत, 255, आरएनटी मार्ग इंदौर एमपी और श्री तरूण नागा पुत्र श्री कैलाश चंद्र नागा हाउस नंबर 85 बी, जूना राजमोहल्ला इंदौर एमपी के माध्यम से।	डिमांड नोटिस दिनांक 18 सितम्बर 2015 1 जुलाई 2015 तक रु.1,08,65,010/- (केवल एक करोड़ आठ लाख पैंसठ हजार दस रुपये)।	इंदौर मध्य प्रदेश में आवासीय संपत्ति हाउस नंबर 85 बी जूना राजमोहल्ला का पूरा टुकड़ा माप क्षेत्र 1275 वर्ग फीट है। सीमा इस प्रकार है : पूर्व : लेन, पश्चिम : लेन, उत्तर : हाउस नंबर 85-सी, दक्षिण : हाउस नंबर 85-ए। इंदौर मध्य प्रदेश में आवासीय संपत्ति हाउस नंबर 85 सी जूना राजमोहल्ला का पूरा टुकड़ा माप क्षेत्र 1264.84 वर्ग फीट है। सीमा इस प्रकार है : पूर्व : लेन, पश्चिम : लेन, उत्तर : हाउस नंबर 85-बी, दक्षिण : खुली जमीन।

आरक्षित मूल्य	बयाना जमा राशि (ईएमडी)
रु.3,23,70,600/- (तीन करोड़ तेईस लाख सत्तर हजार छह सौ रुपए मात्र)	रु.32,37,060/- (रुपये बत्तीस लाख सैंतीस हजार साठ मात्र)

बोली वृद्धि राशि	अचल संपत्तियों का निरीक्षण दिनांक	नीलामी का दिनांक/समय
Rs. 10,00,000/-	20/12/2024 11:00 hrs – 12:00 hrs	10/01/2025 from 11:00 hrs to 12:00 hrs

ऑफर/ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि :- 09/01/2025 शाम 5.00 बजे तक

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :

(1) नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, **मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड** की वेबसाइट देख सकते हैं यानी **https://www.bankeauctions.com** ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्तियों का विवरण और बोली प्रपत्र जो आनलाईन जमा किया जाएगा। (2) सभी इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** में अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मुफ्त में जेनरेट करना होगा। पूर्वोक्त तिथि और समय पर ; (3) ई-नीलामी पर किसी भी पूछताछ, सूचना, समर्थन, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार **मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विभाग से श्री धारानी कृष्णा मोबाइल नंबर:** 9948182222 और **ई-मेल आईडी:** mpcg@c1india.com और **support@bankeauctions.com** से संपर्क कर सकते है। (4) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीदाता ऊपर वर्णित या पूर्व नियुक्ति के साथ किसी अन्य तिथि और समय पर संपत्ति और उसके दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते है और उन्हें ई-नीलामी पर अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकार पर भार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन केएमबीएल की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे **केएमबीएल** को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे; (5) अन्य सभी बोलीदाताओं की ईएमडी जो ई-नीलामी में सफल नहीं हुए, उन्हें केएमबीएल द्वारा ई-नीलामी बंद होने के 72 कार्य घंटों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नही होगा। (6) सफल बोलीदाता (बिक्री आय में से) पर टीडीएस के रूप में बिक्री मूल्य का 1% का भुगतान करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा और बिक्री मूल्य की पूरी राशि (टीडीएस के रूप में 1% की कटौती के बाद) जमा करेगा, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के 15 कार्य दिवसों के भीतर ईएमडी को समायोजित करेगा या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे गए किसी अन्य विस्तारित समय के भीतर, अन्यथा अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

सरफेसी अधिनियम के नियम 6 (2), 8 (6) और 9 (1) के तहत ऋणी/बंधक/गारंटर को एतद्वारा **15 दिनों** का वैधानिक नोटिस दिया जाता है। ताकि देयता का पूर्ण निवर्हन किया जा सके और भुगतान किया जा सके। इस नोटिस की तारीख से तीस दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित देय राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर सुरक्षित संपत्ति को ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेचा जाएगा। अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति होने की स्थिति में, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा। यदि उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता बैंक को देय राशि का भुगतान बिक्री की तारीख से पहले पूरी तरह से कर देता है, तो नीलामी रोक दी जाएगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए हमारे अधिकृत अधिकारी **श्री प्रशांत सातपुते @9724433999 और श्री अशोक मोटवानी @ 9873737351** पर बैंक के उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करें।

विशेष निर्देश :- ई-नीलामी हमारे सेवा प्रदाता **मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड** द्वारा संचालित की जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) की ओर से, पूर्व-निर्दिष्ट तिथि पर, जबकि बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी पसंद के अनुसार अपने स्वयं के घर/कार्यालयों/अपनी बोली के स्थान से उद्धृत करना होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य सामग्री आवश्यकताओं को बोली लगाने वालों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की विफलता (किसी भी कारण से जो भी हो) की पूरी जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी और न तो केएमबीएल और न ही **सी1 इंडिया प्राइवेट। लिमिटेड** इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जो भी आवश्यक हों, करें ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और फिर भी ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। तथापि, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी जटिल स्थिति से बचने के लिए अपनी बोली को उद्धृत करने/सुधारने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें।

स्थान : इंदौर (म.प्र.) दिनांक : 05.12.2024 हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी), कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड